नम्बर व तारीख इस हुक्म में जारी	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज युसुफ बनाम शांति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आरटीए 50 / 2022	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तारीख में जारी हुक्म
	13.07.2022	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी युसुफ ने धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी खातेदारी खेत खसरा नंबर 451 तादादी 6.8400 हैक्टेयर रोही बेनीसर के आवागमन का रास्ता खसरा नंबर 1389/409 तादादी 0.2500 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ में से श्रीडूंगरगढ से बीकानेर सड़क से कटाणी रास्ते से फटकर अप्रार्थी के खेत में से होकर प्रवेश करता है। जिसकी लम्बाई 135 मीटर व चौडाई 6 मीटर है इस रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन कटाणी रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।	

अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जरिये वकील प्रारम्भिक आपति इस आशय की पेश कि प्रार्थी युसुफ ने अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 451 रोही बेनीसर में से 2.28 हैक्टेयर भूमि प्रताप सिंह व रिडमल सिंह राजपूत निवासी केऊ व 2.28 हैक्टेयर भूमि सुनील कुमार जैन निवासी श्रीडूंगरगढ तथा शेष 2.28 हैक्टेयर भूमि कानाराम जाट निवासी उपनी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी है। इस प्रकार प्रार्थी युसुफ ने खसरा नंबर 451 की सम्पूर्ण भूमि 6.84 हैक्टेयर विक्रय कर दी है इसलिये उसको चाहे गये रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि की प्रार्थी के पास खातेदारी की कोई जमीन ही नही रही है। और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन हो गया है जो खारिज योग्य है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थी की प्रारंभिक आपति का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि के संबंध में किसी प्रकार का बेचान नहीं हुआ है। धारा 251 (क) अयन्त आवश्यकता का रास्ता होना एवं वैकल्पिक रास्ता का अभाव होना पर्याप्त है और अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपति को खारजि करनें का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी प्रारंभिक आपति में वर्णित तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया कि वकील प्रार्थी ने प्रार्थी युसुफ द्वारा अपनी खातेदारी की समस्त भूमि विक्रय करनें से इंकार नहीं किया है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें।
वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रारंभिक आपति में वर्णित तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया कि युसफ द्वारा अपना खेत बेच देने मात्र से रास्ते की आवश्यकता समाप्त नहीं हुई है और अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपति प्रार्थना पत्र को खारिज करनें का निवेदन किया।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नंबर 451 तादादी 6.84 हैक्टेयर भूमि रोही बेनीसर को सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करनें से इंकार नहीं किया है। क्रेता ने न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि प्रार्थिनी ने अपने खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर दी है जिसकी विक्रय पत्र की प्रतिया पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थी को खसरा नंबर 451 में आवागमन हेतु रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 18:01:55 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(बीकानेर)